



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40015-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 1657 वर्ष 1983

बृजेश कुमार और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : डी.एस. चौधरी, जी.पी. दीक्षित, सर्वेश, सतीश त्रिवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए., डी.जी.ए.

न्यायालय सं. - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,

1. अपीलकर्ता संख्या 2 (मथुरा सिंह) के विरुद्ध अपील, दिनांक 07.11.2025 के आदेश द्वारा पहले ही उपशमित की जा चुकी है।
2. सीजेएम, औरैया की दिनांक 08.12.2025 की रिपोर्ट पर आधारित कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 13.01.2026 के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 (बृजेश कुमार) की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट के साथ, प्रधान, ग्राम पंचायत, असजना, औरैया द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
3. सीजेएम, औरैया की रिपोर्ट तथा ग्राम प्रधान की रिपोर्ट पर विचार करते, अपीलकर्ता संख्या 1 (बृजेश कुमार) से संबंधित यह अपील, उपशमित हो जाने के आधार पर, खारिज की जाती है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह आपराधिक अपील उपशमित हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

23 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशुतोष

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”